भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 260

बुधवार, 17 जुलाई, 2019/26 आषाढ़, 1941 (शक)

असंगठित क्षेत्र का ब्यौरा

***260. श्री संजय सिह:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत का असंगठित क्षेत्र निरंतर कम होता जा रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या असंगठित क्षेत्र के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास नहीं हो पा रहा है; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*

****

असंगठित क्षेत्र के ब्यौरे से संबंधित श्री संजय सिह द्वारा दिनांक 17.07.2019 को पूछे जाने वाले राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *260 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) और (ख): असंगठित क्षेत्र के लिए समग्र रूप से अलग-से प्रकाशित कोई डेटा नहीं है। तथापि, असंगठित क्षेत्र का संकुचन विकास का एक सकारात्मक संकेतक है। सरकार ने संगठित क्षेत्र के विस्तार के लिए अनेक उपाय किए हैं। ये निम्नानुसार हैं:-

श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा की गई प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) पहल के अंतर्गत लाभार्थियों के पंजीकरण में सार्थक उन्नति हुई है तथा पिछले तीन वर्षों में 1.2 करोड़ कर्मचारी लाभान्वित हुए, जो सामाजिक सुरक्षा लाभ पाने के लिए अनौपचारिक क्षेत्र से औपचारिक क्षेत्र में परिवर्तन का संकेत है। कृषि क्षेत्र के कामगारों सहित असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए, सरकार ने असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 का अधिनियमन किया है। इस अधिनियम की अपेक्षा है कि असंगठित कामगारों के लिए (i) जीवन एवं अपंगता छत्र, (ii) स्वास्थ्य और प्रसूति लाभ, (iii) वृद्धावस्था संरक्षण तथा (iv) केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा निर्धारित कोई अन्य लाभ; से संबंधित मामलों पर उपयुक्त कल्याणकारी स्कीमें बनाई जाएं। असंगठित कामगारों को उनकी पात्रता के आधार पर प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के माध्यम से जीवन और अपंगता छत्र प्रदान किया जाता है। भारत सरकार और राज्य सरकारें लाभार्थी पर कोई भार डाले बिना समान हिस्सेदारी में वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करती हैं। स्वास्थ्य एवं प्रसूति लाभ आयुष्मान भारत स्कीम के माध्यम प्रदान किए जाते हैं। न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन के रूप में वृद्धावस्था संरक्षण के लिए, भारत सरकार ने हाल ही में प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) योजना का सूत्रपात किया है। इस योजना के अंतर्गत, असंगठित कामगारों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद 3000/- रुपये की न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। लाभार्थी द्वारा निर्धारित मासिक अंशदान देय है तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा समान मात्रा में अंशदान का भुगतान किया जाता है।

****